जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.04.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा सड़क पार करते समय बाईक से ठोकर लग जाने के कारण घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत हरदी चौराहा से इवेन्ट संख्या 46992 से कालर द्वारा सड़क मार्ग कास करते समय बाईक से ठोकर लग जाने के कारण 03 व्यक्तियों (1-शोभित कुमार पुत्र सफी कुमार, ग्राम हरदी, थाना बखिरा, 2-विशाल साहनी पुत्र अज्ञात, 3- बब्लू पुत्र राम करन, ग्रा० जंगल खुर्द (गोडवा) थाना को० खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुये व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अनुज कुमार, हो0चा0 अजय त्रिपाठी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.04.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेहदावल*** द्वारा मु0अ0सं0 106/2024 धारा 307, 323, 324, 504, 506 भादवि थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त नाम पता रामअशीष यादव पुत्र भेली यादव निवासी बेलौली थाना मेहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को मुहिया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि वादिनी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादिनी के भाई को मारने पीटने, गाली, धमकी देने व धारदार हथियार से हमला करने देने, जिससे वादिनी के भाई के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में थाना मेहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया था। जिसपर थाना मेहदावल द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 24.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ददन राय, का0 चंदन यादव, का0 विक्रम कुमार शाह।